इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2019—कार्तिक 16, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

एफ 1–04 / 2008 / सूअप्र / 1–9:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. अनुसूची–एक में, अनुक्रमांक 9 में, कॉलम (5) में, विद्यमान अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित अंक और शब्द स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–
"5200–20200+2800 ग्रेड वेतन।"।

2. अनुसूची–तीन में, अनुक्रमांक 1 में, कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) निम्नलिखित में से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र होना चाहिए:–

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय ;

(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. / एन.आई.ई.एल.आई.टी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा;

(चार) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स;

(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.), नई दिल्ली या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.व्ही.टी.), मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण–पत्र।

टीपः– विज्ञान में स्नातक / वाणिज्य स्नातक / अन्य उपाधियां, जिनमें कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है, विधि मान्य नहीं होगी।

(3) हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा (सी पी सी टी) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(4) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / परिषद् से 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण–पत्र।"।

3. अनुक्रमांक 2 में, कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) निम्नलिखित में से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र होना चाहिए, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय;

(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. / एन.आई.ई.एल.आई.टी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा;

(चार) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स;

(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्,(एन.सी.व्ही.टी.), नई दिल्ली या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.व्ही.टी.), मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण–पत्र।

टीपः– विज्ञान में स्नातक / वाणिज्य में स्नातक / अन्य उपाधियां, जिनमें कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है, भर्ती के लिए विधिमान्य नहीं होगी।

(3) हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा (सी पी सी टी) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(4) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / परिषद् से 80 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण–पत्र।"।

4. अनुक्रमांक 3 में, कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) निम्नलिखित में से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र होना चाहिए, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय;

(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन.आई.ई.एल.आई.टी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा;

(चार) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफि मैनेजमेंट कोर्स;

(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, (एन.सी.व्ही.टी.),नई दिल्ली या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.व्ही.टी.), मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण–पत्र।

टीपः– विज्ञान में स्नातक/वाणिज्य स्नातक/अन्य उपाधियां, जिनमें कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है, भर्ती के लिए विधि मान्य नहीं होगी।

(3) हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा (सी पी सी टी) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना चाहिए।

5. अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 में, कॉलम (4) में, विद्यमान अंक के स्थान पर, निम्नलिखित अंक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"40।"।

6. अनुक्रमांक 5 के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाएं, अर्थातः–

टीपः–1. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक सी–3–8/2016/1/3, दिनांक 04.07.2019 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचति जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिकों/निःशक्तजनों/महिला (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए सीधी भर्ती के पद हेतु आयु–सीमा में छूट अधिकतम 05 वर्ष होगी।

टीपः–2. यह अनिवार्य है कि समस्त अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।

2/उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनाक 7 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1-04-2008-सूअप्र-1-9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 7th November 2019

F 1-04/2008/RTI/1-9:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Information Commission (Recruitment and General Conditions of Service) Rules, 2012, namely, -

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In Schedule- I, in Serial Number 9, in column (5), for the existing figures and words, the following figures and words shall be substituted, namely,-

"5200- 20200 + 2800 Grade Pay.".

2. In Schedule- III, in Serial Number 1, in column (5), for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Must have Passed Higher Secondary Certificate Examination (10+2) from any recognized Board or Institution.

(2) Must have One year diploma/certificate in Computer Application from any of the following recognized Institution-

(i) university recognized by University Grants Commission;

(ii) Open university recognized by University Grants Commission;
(iii) Diploma level examination from NIELIT;
(iv) Modern office management course from any Government Polytechnic college;
(v) One year Certificate of computer operator and programming Assistant (COPA) conferred by Council for National Vocational Training (N.C.V.T.), New Delhi or state Council for Vocational Training (S.C.V.T.), Madhya Pradesh.

NOTE:-Bachelor of Science/ Bachelor of Commerce/ other degrees in which computer is Included as only one of the subject shall not be valid.

(3) Must have Passed Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) with a speed of 20 words per minute in Hindi.
(4) Certificate of Hindi shorthand with a speed of 100 words per minute from a recognized Institution /Council."

3. In serial number 2, in column (5), for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Must have Passed Higher Secondary Certificate Examination (10+2) from any recognized Board or Institution.
(2) Must have one year diploma/certificate in Computer Application from any of the following recognized Institution, namely:-

(i) university recognized by University Grants Commission;
(ii) From any open university recognized by University Grants Commission;
(iii) Diploma level examination from NIELIT;
(iv) Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College;

(v) One year Certificate of computer operator and programming Assistant (COPA) conferred by Council for national Vocational Training (N.C.V.T.), New Delhi or State Council for Vocational Training (S.C.V.T.), Madhya Pradesh.

NOTE:-Bachelor of Science / Bachelor of Commerce/ other degrees in which computer is included as only one of the subject shall not be valid for the recruitment.

(3) Must have Passed Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) with a speed of 20 words per minute in Hindi.

(4) Certificate of Hindi shorthand with a speed of 80 words per minute from a recognized Institution / Council."

4. In serial number 3, in column (5), for the existing entries of, the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Must have Passed Higher Secondary Certificate Examination (10+2) from any recognized Board or Institution.

(2) One year diploma / certificate in Computer Application from any of the following recognized Institution, namely:-

(i) University recognized by University Grants Commission;

(ii) From any open university recognized by University Grants Commission;

(iii) Diploma level examination from NIELIT;

(iv) Modern office management course from any Government Polytechnic college;

(v) One year Certificate of computer operator and programming Assistant (COPA) conferred by Council for National Vocational Training (N.C.V.T.), New Delhi or State Council for Vocational Training (S.C.V.T.), Madhya Pradesh.

NOTE:-Bachelor of Science/ Bachelor of Commerce / other degrees in which computer is included as only one of the subject shall not be valid for the recruitment.

(3) Must have passed Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) with a speed of 20 words per minute in Hindi.

5. In serial number 1, 2, 3, 4, 5 in column (4), For the existing figures, the following figure shall be substituted, namely:-
"40.".

6. After serial number 5, the Following note shall be added at the end, namely:-

Note:- 1. As per the Circular no. C-3-8/2016/1/3, dated 04.07.2019 issued by the General Administration Department, for the direct recruitment post, for Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes Government/Corporations / Board / Autononus body Institution Employees/Home guards/ Physically Challenged persons / woman (Unreserved / reserved) age limit relaxtion shall be maximum 05 years.

Note:-2 It is complusory that all candidate should have live Registration in Madhya Pradesh Employment Exchange.

2/ This order is inforce form the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.